का॰ज्ञा॰सं॰ 13017/2/89-रा॰भा॰ (ग), दिनांक 29 नवंबर, 1991

विषय: केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो में असांविधिक साहित्य के अनुवाद का कार्य मानदेय के आधार पर करवाना।

इस विभाग के 19 जुलाई, 1988 के का॰ज्ञा॰सं॰ 13017/73/87-रा॰भा॰ (ग) में से निर्देश दिए गए थे कि जिन कार्यालयों में हिंदी अधिकारी या हिंदी अनुवादक कर कोई पद नहीं हैं, वहां जरूरत पड़ने पर, अंग्रेजी से हिंदी या हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद का कार्य कार्यालय के किसी योग्य व्यक्ति से मानदेय देकर करा लिया जाए। इस कार्य के लिए सामान्य प्रकार का सामग्री के अनुवाद के लिए 15/-रु॰ प्रति एक हजार शब्द तथा तकनीकी प्रकार की सामग्री के अनुवाद के लिए, जिसमें मैनुअल, कौड आदि शामिल हैं, 20/-रु॰ प्रति एक हजार शब्द की दर से मानदेय निर्धारित किया गया था। से दरें केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो में ब्यूरो के बाहर के अनुवादकों, जिनमें कार्यरत तथा सेवा-निवृत्त अनुवादक/अनुवाद अधिकारी/ हिंदी अधिकारी तथा अनुवाद कार्य या अनुवाद प्रशिक्षण से संबद्ध अनुभवी सरकारी एवं गैर-सरकारी व्यक्ति सम्मिलित हैं, द्वारा किए जा रहे केंद्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों, निकायों तथा कार्यालयों के मैनुअलों,संहिताओं, फार्मों आदि के विविध असांविधिक कार्यविधि साहित्य के अनुवाद कार्य के लिए भी लागू थी।

2. ब्यूरो में असांविधिक कार्यविधि साहित्य के उपर्युक्त श्रेणी के अनुवादकों द्वारा अनुवाद के लिए मानदेय की दरें बढ़ाने का मामला भारत सरकार के विचाराधीन रहा है। वित्त मंत्रालय तथा कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के परामर्श से अब यह निर्णय लिया गया है कि केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो द्वारा केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों, निकायों तथा कार्यालयों के मैनुअलों, संहिताओं, फार्मों आदि के विविध असांविधिक कार्यविधि साहित्य के उपर्युक्त श्रेणी के अनुवादकों द्वारा हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी में सामान्य प्रकार की सामग्री के अनुवाद के लिए 40/-रु॰ एक हजार शब्द तथा तकनीकी प्रकार की सामग्री के लिए 45/-रु॰ प्रति एक हजार शब्द की दर से मानदेय दिया जाए। ये दरें केवल ब्यूरो द्वारा ही मानदेय के आधार पर करवाए गए अनुवाद के लिये लागू होंगी।

3. ये आदेश इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने की तारीख से लागू होंगे।

4. यह कार्यालय ज्ञापन कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को 31 अक्तूबर, 1991 की अनौपचारिक टि॰ सं॰ 17013/3/86-स्था॰ (भत्ता) में दी गई सहमति से जारी किया जा रहा है।